

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

केय ग्राम पंचायत, पीपलदा, दिनांक 17.09.25

श्रीमान तहसीलदार सा. आर्येय मणिकुंडि, पीपलदा / 15 दिनांक 17/09/25 के बखाना में रिपोर्ट पटवारी व मोंका नि.

श्रीमान जी,

निवेदन है कि ग्राम पीपलदा में वर्तमान जमाबंदी के खाला नं 531, 60, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 984, 945, 1163 में मसनाबाण केशोर पुत्र केशरलाल जाति ब्राह्मण दस रिफाई हैं। जिनके खातेदारों के सभी दस्तावेजों में व लेखन फर्द में उचित के अनुसार इनका नाम सुनील कुमार व पवन कुमार पुत्र केशरलाल जाति ब्राह्मण है। छापी का नाम मसनाबाण केशोर पुत्र केशरलाल ब्राह्मण इनके पिता के विशाल के नाम सं 1026, 1027 नं 1026, 1027 से शम्भू रिफाई में दर्ज हो गया जो गलत है। मुताबक दस्तावेजों व फर्द मोंका रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों का नाम ब्राह्मण के मसनाबाण केशोर पुत्र केशरलाल से सुनील कुमार, पवन कुमार, पुत्र केशरलाल जाति ब्राह्मण सही किया जाना उचित है।

- 1 नामों में पुतिलिपि
- 2 फर्द मोंका रिपोर्ट

रिपोर्ट तहसीलदार / नयिव तहसीलदार

Handwritten signature and date 17-9-25

मुताबक रिपोर्ट पटवारी एवं मोंका नि. मोंका के अनुसार मुझे (मैं) जान ही नहीं है।

तहसीलदार (मू.अ.मि.) मित्रपुरा (सवाई माधोपुर)

61 / 29-9-25

आदेश

आवेदन का नामाना (माल) दर्ज है। ए. नामाना (माल) की अपील का प्रावधान है अधिकतम विध-समाप्त कार्रवाई सशुभ नामलाय स्था. पर की जाती है। प्रा. धारा-136 के अंतर्गत अधिकतम के प्रावधानों के तहत नहीं करेंगे। आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बोली

